न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी— हेमन्त कुमार घनघोर आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख, फैसला
3/2023	12/12/2022	30/11/26

1 सीताराम पुत्र कन्हीराम आयु लगभग 55 वर्ष जाति मीणा निवासी लक्ष्मीपुरा दित्तीय तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०

प्रार्थी

बनाम

1 हेमराज पुत्र रामकल्याण आयु लगभग 40 वर्ष जाति मीणा निवासी लक्ष्मीपुरा दित्तीय तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०

2 सीताराम पुत्र शंकरलाल आयु लगभग 55 वर्ष जाति भील निवासी लक्ष्मीपुरा दित्तीय तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०

3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा राज०

अप्रार्थीगण

प्रार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः— श्री बाबूलाल बैरवा एड०।

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 58 की रकबा 0.39 हैक्टेयर, वाके माल मौजा ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का करवाड तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० में स्थित है। उक्त कृषि आराजी में प्रार्थी हकाई जुताई करने के लिये ट्रेक्टर लेकर सिवायचक भूमि खसरा संख्या 57 की रकबा 0.29 हैक्टेयर भूमि से होकर वर्षों से निकलकर अपने खेत पर पहुंचता है वर्षो पुराने परम्परागत रास्ते से बिना किसी व्यवधान के निकलता आ रहा है। खसरा संख्या 57 सिवायचक भूमि मे से होकर निकलते आ रहे है। उक्त खसरा संख्या 57 मे रास्ता का राजस्व रिकॉर्ड में अकंन नही है। इस कारण अप्रार्थीगण 1 लगायत 2 ने उक्त रास्ते पर अतिक्रमण करके जबरदस्ती बिना किसी कानूनी आधार के बन्द करने पर आमादा है, जिसके कारण प्रार्थी के खैत पर जाने का एक मात्र रास्ता बन्द हो जायंगा तथा प्रार्थी को अपने खेत पर कृषि यन्त्र, फसल खाद—बीज, लाने ले जाने मे भारी परेशानी उठांनी पडेगी व प्रार्थी के खैत पर जाने का और कोई दुसरा रास्ता नही है, जिससे प्रार्थी का खैत पडत रहने की पूरी—पूरी सम्भावना है। खसरा संख्या 57 रकबा 0.29 हैक्टेयर सिवायचक भूमि मे होकर परम्परागत् वर्षो पुराने रास्ते से प्रार्थी हकाई जुताई जुताई करने के लिये ट्रेक्टर लेकर आता—जाता है उस रास्तें पर अप्रार्थीगण 1 लगाय 2 ने मौके पर तारबाडा बना लिया है व रास्ते को अवरूद्ध करने की नियत से कृर्षि यन्त्र छोड दिया है जिससे प्रार्थी का खैत पर जाने का रास्ता अवरूद्ध कर लिया है जबकी प्रार्थी को अपने खैत पर आने जाने व ट्रेक्टर से खाद—बीज लाने ले जाने हैतु 15 फिट चौडे रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। इस कारण उक्त विवादित रास्ते को 15 फिट चौडाई तक विस्तारित किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी दिनांक 03.11.2022 को हकाई करने के लिये ट्रेक्टर लेकर वर्षो पुराने परम्परागत् खसरा संख्या 57 सिवायचक भूमि में स्थित रास्ते से अपने खैत पर जाने लगा तो अप्रार्थीगण 1 ता 2 ने जबरदस्ती लठ व ताकत के वल पर तारबाडा कर लिया व रास्ते मे कृषि यन्त्र को छोडकर अवरूद्ध कर लिया तथा जिस परम्परागत रास्ते से प्रार्थी निकलता आ रहा था उसके बीचोबीच रास्ते दिवार बनाकर अवरूद्ध कर दिया जिसकी शिकायत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय इटावा, श्रीमान तहसीलदार पीपल्दा को देने पर दिनांक 11.11.2022 को हल्का पटवारी ने मौका देख जिसमे रास्ता अवरुद्ध पाया गया व मौके पर अप्रार्थीगणो ने अतिक्रमण कर कब्जा कर रखा है। जो पटवारी की मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है तथा प्रार्थी के पास इस रास्ते के अलावा दुसरा वैकल्पिक रास्ता अपने खैत पर जाने के लिये नही

है। प्रार्थी अपने खेत पर सिवायचक भूमि खसरा संख्या 57 की रकबा 0.29 हैक्टेयर मे होकर जिस रास्ते से वर्षो से निकल रहा है। अपने खैत पर जाने के लिये उस रास्ते 15 फिट चौडाई में अपने खैत तक राजस्व रिकॉर्ड मे अमल करवाना चाहता है व जो भी सरकारी खर्चा होगा उसको प्रार्थी स्वयं वहन करने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके लक्ष्मीपुरा द्वित्तीय मे सरकारी सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 57 में स्थित परम्परागत् वर्षों पुराना रास्ता को प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 58 की रकबा 0.39 हैक्टेयर माल लक्ष्मीपुरा तक पहुंचने के लिये 15 फिट चौडाई मे अपने खैत तक राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद कर नक्शा ट्रेस मे तरमीम करने का आदेश करने की मेहरबानी फरमायें। तथा उक्त रास्ते को अप्रार्थीगण द्वारा अवरूद्ध कर लिया गया हो तो उसे खुलाया करवाया जावें।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र श्री बाबूलाला बैरवा एड0 ने पेष किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। मुताबिख जवाब सरकार ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार मण्डल करवाड के ख0नं0 57 रकबा 0.29है0 किस्म नहरी प्रथम सिवायचक भूमि में मौके पर रास्ता बना हुआ है तथा खुलासा है। जिसका नजरी नक्षा पुष्त है। मौके पर ख0नं0 58 पर पहुंचने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं पाया गया।

बहस सुनी गई। बहस के तथ्यों व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व जवाब सरकार का मनन व अवलोकन किया गया। मुताबिख तहसील रिपोर्ट ख0नं0 57 रकबा 0.29है0 सिवायचक में मौके पर रास्ता विद्यमान है तथा चालू है। धारा 251 ए आरटीएक्ट के तहत नये रास्ते (जहां आत्यांतिक आवष्यकता हो वैकल्पिक रास्ता पहुंच हेतु उपलब्ध नहीं हो) दिये जाने का प्रावधान है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा